

१९६

व्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3778—पीबीआर/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 10—5—2016
पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण क्रमांक
90/अ—12/2015—16.

बृजमोहन आ०श्री रामफूल
निवासी ग्राम पुरा छिन्दवाडा
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....आवेदक

विरुद्ध

जमनाबाई पत्नी श्री अवधनारायण
निवासी ग्राम पुरा छिन्दवाडा
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....अनावेदक

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेन्द्र वर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक १५/३/१८ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—5—2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक ने उसके स्वत्व की ग्राम पुरा छिन्दवाडा तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नम्बर 231/3/ग रक्बा 0.162 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत

१९६

१९६

आवेदन प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 10-5-2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की अनुपस्थित में सीमांकन कार्यवाही की गई है, जबकि सीमांकन कार्यवाही में हितबद्ध पक्षकारों को नियमानुसार सूचना पत्र की तामीली किया जाना आवश्यक है, सूचना पत्र की तामीली के अभाव में किया गया सीमांकन वैधानिक कार्यवाही नहीं मानी जा सकती है।

(2) अनावेदक की कृषि भूमि से लगी हुई आवेदक की कृषि भूमि है। राजस्व निरीक्षक द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों एवं मेडिया पड़ोसी कृषकों को बिना सूचना पत्र जारी किये सीमांकन किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्ज का उल्लेख किया गया है, परन्तु अवैध कब्जे के संबंध में सीमाओं का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि सीमांकन की कार्यवाही में अवैध कब्जे के संबंध में सीमाओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसलिये सीमांकन की कार्यवाही के आधार पर मौके पर बनाया गया नक्शा त्रुटिपूर्ण होने से विवादित सीमांकन कार्यवाही निरस्ती योग्य है।

(4) सीमांकन कार्यवाही में मौके पर फील्डबुक बनाया जाना आवश्यक है जबकि विवादित सीमांकन फील्डबुक नहीं बनायी गई है तथा सीमांकन में स्थायी सीमाचिन्हों का अभाव है, इसलिये भी राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन के पूर्व विधिवत आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया है जो उसके बालिग पुत्र नेतराम ने प्राप्त किया है।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही टोटल स्टेशन मशीन द्वारा की गई है तथा सीमांकन की फील्डबुक भी तैयार की गई है ।

(3) आवेदक सीमांकन कार्यवाही उपस्थित रहे हैं परन्तु उनके द्वारा न तो कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई और ना ही पंचनामें पर हस्ताक्षर किये गये ।

(4) आवेदक द्वारा आधार विहिन निगरानी प्रस्तुत की गई है क्योंकि वह संहिता की धारा 250 के प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभिलिखित मेड पड़ोसी नहीं है । ऐसा कोई प्रमाण भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके यह प्रमाणित हो सके कि वह हितबद्ध पक्षकार है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को नोटिस जारी नहीं करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत विधिवत् होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-5-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।


 (मनोज गोपल)
 अध्यक्ष
 राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
 ग्वालियर